

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग (माओप्र.)  
मंत्रालय  
वल्लभ भवन, भोपाल.

क्रमांक एफ 7-67/2010/1/माओप्र.  
प्रति,

भोपाल, दि० 15 -12.2010

22/22

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव,  
शासन के समस्त विभाग  
मध्यप्रदेश शासन,
2. समस्त विभागाध्यक्ष,  
समस्त संभागीय आयुक्त,
3. समस्त कलेक्टर्स,  
समस्त जिला पुलिस अधीक्षक,  
मध्यप्रदेश.

विषय— म०प्र०मानव अधिकार आयोग में लंबित प्रकरणों में अधिकारियों द्वारा जवाब न भेजने के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषय के संबंध में माननीय अध्यक्ष म०प्र०मानव अधिकार आयोग ने उनके अ.शा. पत्र दि. 24.11.10 (प्रति संलग्न) में उल्लेख किया है कि आयोग में वर्तमान में बड़ी संख्या में प्रकरण लंबित हैं, जिनमें शासन के विभिन्न विभागों अथवा कार्यालयों द्वारा कार्यवाही की जाना अपेक्षित है, परन्तु अनेक जिलों के अधिकारी जिनमें भी विशेष रूप से जिला कलेक्टर शामिल हैं, आयोग के पत्रों का जवाब प्रस्तुत करने में प्रतिवेदन देने अथवा आयोग में उपस्थित होने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं जिससे आयोग में शासन के विभिन्न विभागों से संबंधित लंबित प्रकरणों की संख्या में निरंतर इजाफा हो रहा है।

निर्देशानुसार अवगत होवे कि प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए आयोग द्वारा प्रेषित पत्रों अनुशंसाओं/निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करे। आयोग द्वारा समन करने पर समक्ष में उपस्थित होकर विषय/तथ्य को स्पष्ट भी करें।

(बी.आर.विश्वकर्मी)

उप सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग(माओप्र.)  
भोपाल, दि० 15.12.2010

क्रमांक एफ 7-67/2010/1/माओप्र.

प्रतिलिपि—

1. अपर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय की ओर सी.एस.जनरल मॉनिट क्र. 4558/10, दि. 26.11.10 के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. रजिस्ट्रार लॉ, म०प्र०मानव अधिकार आयोग, पर्यावास भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

०१२  
उप सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग(माओप्र.)

न्यायमूर्ति ए.के. सक्सेना  
कार्यवाहक अध्यक्ष  
मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग

मुख्य सचिव कार्यालय  
CS/Gen-Cpl/  
Date 26/11/2010  
4558

कार्यालय: पर्यावास भवन, खण्ड-1  
अरेंग हिल्स, जेल रोड  
भोपाल (म.प्र.) 462011  
दूरभाष: (0755) 2571935

F : - 67/10/1/15-205

अद्व शास. पत्र क. 29473 / माझा/ काझ/ निस/ 10  
भोपाल, दिनांक 24-11-10

विषय:- आयोग में लम्बित प्रकरणों में अधिकारियों द्वारा जवाब न भेजने के संबंधी।

000000

मेरे लिए जी

1129  
24/11/10

मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग में वर्तमान में बड़ी संख्या में प्रकरण लम्बित हैं जिनमें शासन के विभिन्न विभागों अथवा कार्यालयों द्वारा कार्यवाही की जाना अपेक्षित है, परन्तु अनेक जिलों के अधिकारी, जिनमें विशेष रूप से जिला कलेक्टर शामिल हैं, आयोग के पत्रों का जवाब प्रस्तुत करने में, प्रतिवेदन देने अथवा आयोग में उपस्थित होने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं जिससे आयोग में शासन के विभिन्न विभागों से संबंधित लम्बित प्रकरणों की संख्या में निरंतर इजाफा हो रहा है तथा स्थिति दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है। अनेक बार कई अवसर देने के द्वारा अधिकारियों के विरुद्ध जागरूकता वारंट तक जारी करना आवश्यक हो जाता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया आप इस संबंध में मंत्रालय सहित समस्त जिलों के अधिकारियों को निर्देश जारी करने का कष्ट करें कि वे आयोग द्वारा भेजे जाने वाले पत्रों का उत्तर समय सीमा में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना, प्रतिवेदन भेजना अथवा उपस्थित होना सुनिश्चित करें जिससे आयोग को अनावश्यक पत्राचार न करना पड़े। आपके निर्देशों के बाद भी यदि स्थिति में सुधार नहीं आता है, तब आयोग को स्वयं ही शीघ्रता से त्रुटि करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करना आवश्यक हो जावेगा।

यह आयोग अपेक्षा करता है कि आपके निर्देशों के बाद स्थिति में सुधार आयेगा तथा त्रुटिकर्ता अधिकारीगण तथा कर्मचारीगण गंभीरता से आयोग के आदेशों का पालन करेंगे।

2. 63  
27/11/10

( जस्टिस ए.के.सक्सेना )  
कार्यवाहक अध्यक्ष

श्री अवनि वैश्य,

आय.ए.एस.

मुख्य सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

भोपाल (मोप्र)

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग (माओप्र)  
मंत्रालय  
वल्लभ भवन, भोपाल.

क्रमांक एफ 7-67/2010/1/माओप्र.  
प्रति,

भोपाल, दि० 15 -12.2010

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव,  
शासन के समस्त विभाग  
मध्यप्रदेश शासन,
2. समस्त विभागाध्यक्ष,  
समस्त संभागीय आयुक्त,
3. समस्त कलेक्टर्स,  
समस्त जिला पुलिस अधीक्षक,  
मध्यप्रदेश.

**विषय-** म०प्र०मानव अधिकार आयोग में लंबित प्रकरणों में अधिकारियों द्वारा जवाब न भेजने के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषय के संबंध में माननीय अध्यक्ष म०प्र०मानव अधिकार आयोग ने उनके अ.शा. पत्र दि. 24.11.10 (प्रति संलग्न) में उल्लेख किया है कि आयोग में वर्तमान में बड़ी संख्या में प्रकरण लंबित हैं, जिनमें शासन के विभिन्न विभागों अथवा कार्यालयों द्वारा कार्यवाही की जाना अपेक्षित है, परन्तु अनेक जिलों के अधिकारी जिनमें जै विशेष रूप से जिला कलेक्टर शामिल हैं, आयोग के पत्रों का जवाब प्रस्तुत करने में प्रतिवेदन देने अथवा आयोग में उपस्थित होने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं जिससे आयोग में शासन के विभिन्न विभागों से संबंधित लंबित प्रकरणों की संख्या में निरंतर इजाफा हो रहा है।

निर्देशानुसार अवगत होवे कि प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए आयोग द्वारा प्रेषित पत्रों अनुशंसाओं/निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करे। आयोग द्वारा समन करने पर समक्ष में उपस्थित होकर विषय/तथ्य को स्पष्ट भी करें।

  
(बी.आर.किशोरकुमार)


उप सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग(माओप्र.)

क्रमांक एफ 7-67/2010/1/माओप्र.

भोपाल, दि० 15 .12.2010

प्रतिलिपि—

1. अपर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय की ओर सी.एस.जनरल मॉनिट क्र. 4558 / 10, दि. 26.11.10 के संदर्भ में सूचनार्थी।
2. रजिस्ट्रार लॉ, म०प्र०मानव अधिकार आयोग, पर्यावास भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थी

  
उप सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग(माओप्र.)

न्यायमूर्ति ए.के. सक्सेना  
कार्यवाहक अध्यक्ष  
मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग

मुख्य सचिव कार्यालय  
CS/Gen-Gp/-  
Date 26/11/2010  
4558

कार्यालय: पर्यावास भवन, खण्ड-1  
अरेंग हिल्स, जेल रोड  
भोपाल-(म.प्र.) 462011  
दूरभाष : (0755) 2571935

F : - 67/10/1/45.205

अद्व शास. पत्र क. 29473  
/माझा/काझ/निस/10  
भोपाल, दिनांक 24-11-10

विषय:- आयोग में लम्बित प्रकरणों में अधिकारियों द्वारा जवाब न भेजने के संबंध में।

000000

मेरे क्रम जी

मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग में वर्तमान में बड़ी संख्या में प्रकरण लम्बित हैं जिनमें शासन के विभिन्न विभागों अथवा कार्यालयों द्वारा कार्यवाही की जाना अपेक्षित है, परन्तु अनेक जिलों के अधिकारी, जिनमें विशेष रूप से जिला कलेक्टर शामिल हैं, आयोग के पत्रों का जवाब प्रस्तुत करने में, प्रतिवेदन देने अथवा आयोग में उपस्थित होने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं जिससे आयोग में शासन के विभिन्न विभागों से संबंधित लम्बित प्रकरणों की संख्या में निरंतर इजाफा हो रहा है तथा स्थिति दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है। अनेक बार कई अवसर देने के बाद अधिकारियों के विरुद्ध जानकारी दार्ढर तक जारी करना आवश्यक हो जाता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया आप इस संबंध में मंत्रालय सहित समस्त ज़िलों के अधिकारियों को निर्देश जारी करने का कष्ट करें कि वे आयोग द्वारा भेजे जाने वाले पत्रों का उत्तर समय सीमा में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना, प्रतिवेदन भेजना अथवा उपस्थित होना सुनिश्चित करें जिससे आयोग को अनावश्यक पत्राचार न करना पड़े। आपके निर्देशों के बाद भी यदि स्थिति में सुधार नहीं आता है, तब आयोग को स्वयं ई शीघ्रता से त्रुटि करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करना आवश्यक हो जावेगा।

यह आयोग अपेक्षा करता है कि आपके निर्देशों के बाद स्थिति में सुधार आयेगा तथा नुटिकर्ता अधिकारीगण तथा कर्मचारीगण गंभीरता से आयोग के आदेशों का पालन करेंगे।

( जस्टिस ए.के.सक्सेना )  
कार्यवाहक अध्यक्ष

प्रति,

श्री अवनि वैश्य,  
आय.ए.एस.  
मुख्य सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन,  
भोपाल (म0प्र0)